

कार्यवाही विवरण

श्री ज्ञानचंद्र प्रसाद अग्रवाल (खम्हरिया डोलोमाईट डिपोजिट), ग्राम-खम्हरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा स्थित खसरा क्रमांक 869/1, 869/2, 870, 871/1,2, 872, 873, 874, 875, 876/1, 876/2, 877, 878, 886 (पार्ट) 887/2 (पार्ट), 888, 899/2, 900, 901/1, 901/2, 902/1, 902/2, 906, 907/1, 907/2, एवं 907/3, कुल क्षेत्रफल-4.636 हेक्टेयर में प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता-1,50,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय बाबत दिनांक 04.10.2021 को समय 11:00 बजे, स्थान-शासकीय हाईस्कूल खम्हरिया के परिसर, तहसील-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :-

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई. आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार श्री ज्ञानचंद्र प्रसाद अग्रवाल (खम्हरिया डोलोमाईट डिपोजिट), ग्राम-खम्हरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा स्थित खसरा क्रमांक 869/1, 869/2, 870, 871/1,2, 872, 873, 874, 875, 876/1, 876/2, 877, 878, 886 (पार्ट) 887/2 (पार्ट), 888, 899/2, 900, 901/1, 901/2, 902/1, 902/2, 906, 907/1, 907/2, एवं 907/3, कुल क्षेत्रफल-4.636 हेक्टेयर में प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता-1,50,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर, बिलासपुर में दिनांक 03.09.2021 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली मुख्य संस्करण में दिनांक 03.09.2021 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदनुसार लोक सुनवाई दिनांक 04.10.2021 को समय 11.00 बजे, स्थान-शासकीय हाईस्कूल खम्हरिया के परिसर, तहसील-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर-चांपा, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चांपा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, सरपंच/सचिव कार्यालय, ग्राम पंचायत खम्हरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.), डायरेक्टर, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई

दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भू-तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर - 19, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है। परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियां/आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय को कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 04.10.2021 को समय 11.54 बजे, स्थान-शासकीय हाईस्कूल खम्हरिया के परिसर, तहसील-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्रीमती लीना कोसम, अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री जगमोहन कुमार चद्रा, इंडियन माईन प्लानर एण्ड कंसलटेंट, कलकत्ता के द्वारा श्री ज्ञानचंद्र प्रसाद अग्रवाल (खम्हरिया डोलोमाईट डिपोजिट), ग्राम-खम्हरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को अवगत कराया गया।

अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर-चांपा द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका-टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. **श्री धीरज कुमार सुल्तान, वार्ड नं. 11 का पंच :-** इस जन समस्या लोक सुनवाई में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। इस खदान के बारे में पर्यावरण के बारे में डीएमसी खदान के तरफ से का जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अगल-बगल के गांव के जनता हो किसी को कोई बोलना चाहता है वो यहां आकर नाम लिखाये।
2. **श्री धनीराम कुर्रे, ग्राम-खम्हरिया :-** मैं जन सुनवाई में कुछ बात करना चाहत हव। बात करे बर अनुमति चाहत हव। गावं में सुविधा नहीं दे थे। मानमानी ढंग से चलत है। पूरा आदमी दुखी हे। रोड़ का परेशानी हवय। कंपनी वाले के पास टाईम नहीं हवय। बरसात का पानी पूरा भर जाथे। आवे जावे बर पाटय नहीं। गांव में अनेक प्रकार की परेशानी है। पानी प्रदूषण होथे। ब्लारिस्टिंग से घर हिलत हे। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत खम्हरिया हे। मैं अनुज कुमार बालाजी पार्टनर डोलोमाईट कार्पोरेशन बाराद्वार का हूँ। जब तक मेरा खदान चलेगा।
3. **श्री रमेश कुमार चंद्रा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ग्राम-खम्हरिया :-** खदान खुलने का विरोध करने बाबत्। निवेदन है कि नये खदान खोलने के इस जन सुनवाई का निम्न कारणों से मैं विरोध करता हूँ :- 1. यह कि ग्राम खम्हरिया से पूर्व से ही सैकड़ो एकड़ में खदाने है यहां जमीन की कमी है, जिस कारण से गोठान का निर्माण नहीं हो पा रहा है 2. यह कि यहां के मवेशियों के लिये चारागाह की कमी है 3. यह कि खदानों के खनिज के दिन रात परिवहन से सड़के पूरी तरह से टूट चुकी है, आमजनों का दो पहिया चार पहिया एवं पैदल चलना भी बहुत कठिन हो गया है। 4. यह कि इन खदान संचालको द्वारा ग्राम खम्हरिया के स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं पर्यावरण के लिए सी.एस.आर. मद से एक रूपये की भी राशि का कोई काम नहीं किया गया है। 5. यह कि खदानों को निर्धारित सीमा से बहुत अधिक गहरा खोद दिया जाता है, जिस कारण से ग्राम खम्हरिया व आसपास के ग्रामों में खेत का पानी का लेवल नीचे चला जाता है, जिससे फसल प्रभावित होता है। 6. यह कि खदान संचालको के ओवरलोड वाहनो से परिवहन एवं रात्रि को बिना रायल्टी पर्ची के परिवहन से ग्राम पंचायत खम्हरिया के करोड़ो रूपये की रायल्टी का नुकसान होता है। 7. यह कि खदान

संचालको द्वारा सड़क मरम्मत एवं पानी तराई नहीं कराने के कारण पूरा क्षेत्र प्रदूषित रहता है। इन कारणों को ध्यान में रखकर खदान खुलने का मैं विरोध करता हूँ और एक निवेदन और है ये जो खदान चल रहे है वहां कार्यरत मजदूरों को इस काम से हटाया न जाये। रिटायर जो हो रहे है वो अलग बात है परंतु प्रताडित करके रिटायर न किया जाये। यही मेरा निवेदन है।

4. **श्री बी. आर. सुल्तान, ग्राम—खम्हरिया** :- जन सुनवाई में जो ज्ञानचंद्र अग्रवाल ने जन सुनवाई के लिए लगवाये है वो सरासर एकदम झूठा है। जो 4.636 हेक्टेयर में लीज के लिए मंगा है। वो केवल एक जगह नहीं है वो 1 एकड़ कुछ जगह है 1.0 एकड़ कुछ जगह है एक स्थान पर नहीं है। ग्राम खम्हरिया में चलने से गांव वालों को भारी नुकसान होता है। एल्बो मशीन से 12 फीट छेद कर ब्लास्टिंग लगाया जाता है। ब्लास्टिंग लगाने से खेतीहर मजदूर को परेशानी होती है। पत्थर छींटकर खेत में जाते है और बोलने पर रोकने पर, ब्लास्टिंग को रोकने पर 112 बुलाकर डराया, धमकाया जा रहा है। पुलिस में जाते है हम लोग तो तब भी किसी प्रकार का कार्यवाही नहीं किया जाता है, कार्यवाही नहीं किया जाता है तथा नया लीज प्रदान न किया जाये और चली चुके अन्य माइंस को बंद करने का मैं आग्रह चाहता हूँ और यातायात के साधन है कभी दुर्घटना जानवरो का होते रहता है। इसलिए हम इस खदान की आपत्ति डाल रहे है।

5. **श्री टेकचंद्र चंद्रा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य** :- अभी वर्तमान में मेरी धर्म पत्नी माधवी चंद्रा जिला पंचायत सदस्य है। आज मुझे बोलने में बड़ा दुख हो रहा है कि डोलोमाईट खदान के नाम से एक तो पहले जर्जर स्थिति सड़क को देखते हुए। अभी लीपापोती किया गया है। जन सुनवाई के मौके अभी लीपापोती की गई है। यहां पर पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं था। हर रोज आदमियों को मरना जीना समस्या का सामन करना पढ रहा है। जल, जंगल और जमीन इस क्षेत्र की चौपट हो चुकी है। इस क्षेत्र में तीन चीज का वरदान लिया था। जल की, जंगल की और जमीन की ये तीनों स्तर गिर चुका है। तीनों बर्बाद हो चुका है मैं कहना चाहता हूँ ये जितना भी पढ़कर सुनाये है लोग ऐजेंडा, एजेंडा में कोई भी एक काम नहीं कर रहे है ये लोग अगर दैनिकीय स्थिति सड़क की हुई है पर्यावरण को देखा जाये वृक्षारोपण करने की बात कर रहे है। कहां वृक्षारोपण किया गया है, हम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, इतना बड़ा कार्यक्रम इन लोग किये है इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को सूचित करना चाहिए की नहीं चाहिए बताईये। आदरणीय महोदय जी बताईये। कोई इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को सूचना नहीं मिला है। मुझे रात को खबर मिला है मैं आया हूँ। मेरे को किसी भी प्रकार की

कोई सूचना नहीं की गई है। इस क्षेत्र में मैं आज तक 02 पंचवर्षीय जिला पंचायत सदस्य हूँ। आज तक कोई भी कार्यक्रम में एनवाईट नहीं किया गया है। साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र की 7 कि.मी. की रेंज में जितने सरपंच आते हैं। जितने जनप्रतिनिधि हैं सभी को इनवाईट करना चाहिए। इस नये खदान के लिए मैं हमेशा विरोध करता रहूँगा और हर हाल में मैं इनका विरोध करता रहूँगा। पहले सडक को बनावाया जाये फिर खदान को खोलने के लिए अनुमति दिया जाये। आज मुझे इस रोड़ पर लगातार दो महीनों से नहीं चला हूँ। आज प्रथम बार आया हूँ देखने में मुझे इतना दुख हो रहा है। क्या करू इस छोटा सा जनप्रतिनिधि होने के नाते कुछ नहीं कर सकता। पूर्व में सूचना मिला था ये रोड़ 23 करोड़ में स्वीकृति हुआ है। सभी के मन में संतोष हुआ था। आज नहीं कल बन सकता है। लेकिन अभी तक इसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है। साथियों मुझे इस मंच से दो शब्द बोलने का मुझे अवसर दिया है। मैं जोर से बोल रहा हूँ। कारण क्या है इस क्षेत्र की दुर्दशा को देखते हुए। इस क्षेत्र की जनता की समस्या को देखते हुए। मुझे बोलने का अवसर ले रहा हूँ। खदान के चलते कई जन समस्या निवारण कार्य घोषित किया गया है। कोई भी काम नहीं हो रहा है। अभी ये राशि से जो राशि आ रहा है। खदान के अंतर्गत क्षेत्र की राशि है क्षेत्र की जनता व गांव की राशि का विकास नहीं हो रहा है। बंदरबाट हो गई है। इस गांव की राशि के लिए करोड़ों रूपया आ रहा है। यहां कुछ विकास नहीं हो रहा है। जाओ देखो अभी 1 करोड़ रूपया आया था। अगले वर्ष 2 करोड़ रूपया स्वीकृति हुआ था। यहां पर 2 करोड़ की राशि, एक भी काम नहीं हो पाया है। एक भी काम सही ढंग से नहीं हो पाया है। कहां से विकास हो पायेगी। तो कहां से रोड़ पूरा दैयनीय स्थिति है। रोड़ को बनवाया जाये तभी इस खदान खुलने की अनुमति मिलेगा। मैं हर हमेशा विरोध करूँगा और करते रहूँगा।

6. श्रीमती सुशीला बाई, ग्राम-खम्हरिया :- बड़े-बड़े खदान हा खुलत हे, खुले हे बढिया चलत हे, सब लोग लईका का काम बुता मा लेना चाहिए। ऐसा करके मैं वो चीज ला बोलत हव। अतका बढिया खदान खुले हे चलात हे।
7. श्रीमती सावित्री, ग्राम-छीतापण्डरिया :- खदान खोलत हे खोद दे, गांव के लोग लईका का काम व रोड़ ला बढिया बना दे।

8. **श्री गज कुमार भारद्वाज, ग्राम-खम्हरिया** :- भाई लोग लईका मन ला अपन खदान खुलही तब ला अपन लोग लईका का भर्ती करही। हमला हो गये हे 60 साल हमला कहबो भर्ती करबो। तो हमला लेही क्या बताहा। तेकर मन के सबके लोग लईका बढिया पढे क्योकि शासन हे। बढिया बना देवा स्कूल ला, लईका मन ला स्कूल मा पढे जाथे, तो दू पहिया गाडी वाला जाथे। साईकिल वाला ला रास्ता भी नहीं देवत हे। थोडा देख के अपन हिसाब से बढिया चलावा। काबर ताकि हमर बच्चा आपके बच्चा हम ये ही बोलत हन दाई महतारी सब ला हमर बच्चा आपके बच्चा तेकर मन से चले जो भी रहे। अपन चलते रहे अपन रोड़ ला बनाते रहे। जो भी लईका स्कूल मा जाथन तो गिर जाथे। वही हिसाब से बढिया प्रेम से जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
9. **श्री नंद कुमार सिंह चन्द्रा, ग्राम-जैजैपुर** :- वास्तव में ये जो जनसुनवाई के कार्यक्रम जो आज खम्हरिया में आयोजित हे। जन सुनवाई तो नाम हे पर सुनवाई कहां होतीस अगर सुनवाई होतीस आज आप जांजगीर से जिस रोड़ से चल कर आये है। ये रोड़ पैदल चलने में भी लोगों को दिक्कत होता था लेकिन आज आपके आगमन पे रोड़ का मरम्मत हुआ है। ये भी खुशी की बात है। हमारा प्रमुख जो मांग है। ओव्हर लोड वाहन का आना-जाना बंद हो। हैवी ब्लास्टिंग किया जा रहा है, जिससे आसपास के गांव के ग्रामीणों के जो घर में दरारे आ रही है। इस पर नियंत्रण हो। हर समय भारी वाहनो के आवागमन से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड रहा है। जैसी श्वास, दमा, आंखो पर बीमारी, टीवी जैसी बीमारी से ये लोग जूझ रहे है। महोदय ओव्हर लोड माइंस परिवहन में रायल्टी की चोरी की जा रही है। शासन द्वारा निर्मित भवनो की हैवी ब्लास्टिंग के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। इन बिन्दुओं पर विचार करते हुए शासन के गार्ड लाईन का पालन करते हुये लोगों को रोजगार मिले और स्थानीय लोगों को खासतौर पर रोजगार दिया जाये। खम्हरिया जो आसपास के लोग को उनको रोजगार से वंचित न किया जाये और राज्य सरकार के जो भी गार्ड लाईन है। उस गार्ड लाईन का पूरी तरह से अक्षरशः का पालन हो। अगर पालन नहीं होगा तो करीब ही चक्का जाम का संघर्ष के लिए आप लोग तैयार रहेंगे।
10. **श्रीमती कविता उरांव, ग्राम-खम्हरिया** :- दिनांक 04.10.2021 ग्राम पंचायत खम्हरिया में डोलोमाईट खदान और अन्य खदान संचालक के लोक सुनवाई के संबंध में ग्राम-खम्हरिया, तहसील-जैजैपुर, थाना-बाराद्वार, जिला जांजगीर-चांपा

(छ.ग.) में आये प्रशासनीक अधिकारी कलेक्टर मंडल जैजैपुर तहसील महोदय सक्ती तहसील एवं हसौद तहसील क्षेत्र से आये तहसीलदार महोदय पर्यावरण संरक्षण मंडल से आये समस्त अधिकारीगण एवं पुलिस विभाग से आये थाना अधीक्षक महोदय एवं उनके सह कर्मियों का ग्राम पंचायत खम्हरिया में सादर स्वागत है एवं अभार है। उपयुक्त विषय के संबंध में लेख है कि डोलोमाईट खदान और ग्राम पंचायत में अन्य खदान के संचालन के संबंध में लोक सुनवाई के संबंध में महोदय हमारे ग्राम पंचायत खम्हरिया में लगभग 5-6 डोलोमाईट खदान का संचालन हो रहा है। लगातार 24 घंटे ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण, जिससे आम जनता को नागरिक बच्चे कि परेशानी हो रही है। पर्यावरण संरक्षण विभाग से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत खम्हरिया में गिट्टी परिवहन के लिए अलग से बाई पास रोड़ निर्माण कराये जाये। खदान संचालन रोड़ के लिए टैक्स देती है तो शासन प्रशासन ग्राम पंचायत खम्हरिया के रोड़ के लिए ध्यान देवे। हमारे खदान मालिको से निवेदन है कि 24 वर्ष हो गये है। ग्राम खम्हरिया को तरक्की के ओर ले जाये। स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा कराये। सी.सी. रोड़ की निर्माण कराये। गौठान का निर्माण करें। एम्बुलेंस का व्यवस्था किया जाये। बेरोजगार महिलाओ को रोजगार दिलाया जाये। ग्राम खम्हरिया के बिजली खम्भों में बिजली लगवाने का कार्य किया जाये। हर घर में नल का निर्माण किया जाये। हर घर में शौचालय का निर्माण किया जाये। महिलाओ को असुविधा हो रही है।

11. **श्री गीताराम साहू, राष्ट्रीय कांग्रेस जिला माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार :-**
 आज मुझे किसी प्रकार का जन सुनवाई का सूचना नहीं मिला है। मैं आया हूँ कोई बात नहीं। खदान खुले एक नहीं कई खदान खुले। खदान से हमें कोई प्रॉबलम नहीं है। मैं अधिकारियों को आग्रह करना चाहूंग कि मैं दिनांक 11 मार्च को लेटर पैड पे बकायदा मुख्यमंत्री जी के पिताजी के लेटर पैड पे और 01 मार्च 2020 एवं 24 मार्च 2020 को भी मैं दोनो लेटर एवं एक स्वतः लेटर में अंदर 3-4 आवेदन कलेक्टर महोदय, अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सक्ती, तहसीलदार महोदय जैजैपुर व पुलिस प्रशासन में बैठे थाना प्रभारी टी.आई. साहब को भी आवेदन कर चुका हूँ। मेरा एक ही मांग है जो रात्रिकालीन में जो अवैध रूप से जो कार्य चल रहा है। उसमें बिल्कुल रोक लगाया जाये और रात्रिकालीन में भी सुनने को मिला है कि रात में भी ब्लास्टिंग का कार्य हो रहा है। उसमें भी रोक लगाया जाये। आज तो मैं धन्यवाद दूंगा जो ऐसे नेता लोग, ऐसे प्रशासन के अधिकारियो लोग कलेक्टर लोग हमेशा खम्हरिया में आते रहे है

और अभी जैसे खम्हरिया का रोड बना है वैसी बना रहे। चूंकि गांव ये मेरा खम्हरिया गांव है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा की बार-बार यहां आते रहे। आप लोग आयेंगे तो रोड की दशा एवं दिशा सही रहेगा। मैं बताना चाहूंगा आप लोगो से आप लोग जन सुनवाई लगाये है। बिल्कुल जन की सुनना है ही नहीं। ये मेरा मानना है अगर जन का सुनना होता तो अभी तक मैं भी एक जन हूँ जो 3-4 बार आवेदन लगाया है। कोई प्रकार का सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है और ये आपका ओव्हर लोड का कार्य इसको नियंत्रित कराये। रोड को भी सुधारने का कष्ट करे। ये भी मेरा मानना है। और खदान खुलने से हमें कोई प्रॉबलम नहीं है, रूल्स के हिसाब से चले और अच्छे से चले हमारे गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा गांव के लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन सभी बातों को विशेषकर ध्यान देना होगा। नहीं तो हमारा कांग्रेस ब्लॉक कमेटी उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए तैयार रहेंगे। बड़े झाड़ के जंगल में 100 एकड भूमि जो आ गया। इसे विशेष ध्यान में देंगे। छोटे-छोटे किसान को रजिस्ट्री करने में बहुत परेशानी हो रही है।

12. **श्री बुद्धेश्वर, ग्राम-खम्हरिया** :-मोर निवेदन है ये विधवा पेंशन, नहीं मिलत हे। ये बात नहीं हे। मिलत हे। अव कतको झन ला नहीं मिलत हे। बहुत झन ला नहीं मिलत हे विधवा पेंशन। तो ऐला देवाये के प्रयास करव। आज ही खदान के चर्चा चलिस हवय तो महु सुने हवव। खदान चलत हे। हमर ज्ञानचंद मालिक के खदान हे। हमला दुख नहीं हवय हमला। हमर पीएफ कटत हे, पेंशन बनत हे। रिटायरमेंट होथे जेहा। हमर ये प्रार्थना हे और ओला लीज दे देवय। और हमर के लोग लईका का काम करवाये। काबर हममन दिल्ली, कश्मीर जाबो। ईटा बनाये बर आन गांव मा काबर जाबों। हमर घर मा काम रहीई कमाबो सुख से रहिबो। दिन भर सुथियो। कती एन ददा हे। हममन काबर जाबो। गांव मा खदान बढिया खुलय। सब लोग लईका का, मोला 02 साल हो गये रिटारमेंट काम मा नई जाथन। ओखर जगह मा मोर बेटा मन ला लेवय। ओकर बेटा ला लेवय। आज कोरबा मा कतका कन खुले हवय देखे हव फैंक्ट्री खुले। कोयला खदान खुले हे। कातखो बढिया मजा के कमात हे खात हे, कोन गांव मा नहीं खुलत हे। ये ऐखर चीज हे। हममन ला आ जो के मोर नान कन मुडा हे ऐला नई पाव। का बर के गाडी मन के मारे। ये चौरा ला बना देतीस सडक ला। क्या रोड ला बोलथे लाईन फोन क्या कहते बडका रोड मा तेला। मैं वोई रोड ला बोलथव बबा। वैसने कन बना देवय। चावर जाके बना देवय। ऐखर खदान खुले बढिया है गा। दिल्ली, काश्मीर जाथन नई जान। हमर मालिक ला हमर कुछ

नहीं हे टेंशन। बढिया हमला देथे पैसा कौडी। छह महिना छह महिना दिल्ली सरकार से बड के आथे। टन हिसाब से सबका ऐकत पैत के जोड थे। माटी के अलग निकालथे, पथरा के अलग निकालथे। हमर ला बढिया मजा के वो रेट मा जोड देथन। गाडी मा जुडीस ता भर-भर के बोहना चालू।

13. **श्री मिश्रा, ग्राम-खम्हरिया :-** आप लोग रोड़ को देखे होंगे। रोड़ में आने में कितना परेशानी है, जाने में कितना परेशानी है। जैसे आज मेरा जय बाबू बोला वो डीएमसी में कमाता है। डीएमसी वाले कमाते है वे उनका गुन गायेंगे। गुन गायेंगे उस नाम से सब उनको मिलता है। जब बोला उसका मेरे बच्चा को लिया जायेगा। मेरे पापा जो 1 एकड़ जमीन देकर सन् 94 में दिया था। अभी तक सन् 94 में 1 एकड़ जमीन दिया था वो बोला था मेरे पास आप का दरखास्त है मेरा पिता रिटायर हुआ जब वहां से तो मै बोला 1 आदमी को ले लो तीन भाईयों है हम लोग। मेरा एक भी बात नहीं सुने डीएमसी वाले। आप को 1 एकड़ जमीन दिया गया है। ऐसे-ऐसे स्थिति अभी बोला मेरे बच्चा को ले लेगा। पहले सब जान रहे है कि 500 आदमी काम कर रहे थे। अभी तक कितना आदमी काम कर रहे है वहां पे, मुश्किल से 100-50 आदमी होगा। 50 आदमी होगा मुश्किल से वहां पे 10 आदमी तो बिहार से आया हुआ है। 50 आदमी बाहर से लिया गया है। आसपास खम्हरिया गांव से भट्ठा जा रहा है खम्हरिया में इतना क्या बनेगा। इतना बडा खदान चल रहा है 8-10 ठोक। 200 आदमी नहीं है हमारे खम्हरिया गांव में ऐसे, ऐसे खम्हरिया का स्थिति है। बोल तो दिये सरकार हम लोग स्कूल बना दिये खम्हरिया में लेकिन 10 वीं तक पढाई हो रहा है 10 वीं तक के एक भी गणित का टीचर नहीं है। उसमें मेरा बच्चा ट्यूशन पढने जाता है बाहर, 200-400 लेकर महीने में ये तो स्थिति है खम्हरिया का, रोड़ तो देखे ही हो आप खम्हरिया का देख कर आये होंगे। अभी आये कितना सुंदर है अभी आये तो मरम्मत चल रहा है रोड में। एक ही कंपनी को नहीं बोल रहा हूं डीएमसी से मैं हर कंपनी से बोल रहा हूं। एक और बात है मैं खम्हरिया से विशेष बात है 1 कि.मी. लीज मत दो ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ताकि दूर मा दिया जाये ताकि पत्थर ब्लास्टिंग गांव में न आया जाये। यही मेरा बिनती है।

14. **श्री उमाशंकर चंद्रा, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ग्राम-जैपुर :-** लगभग सन् 1994-95 से खम्हरिया में डोलोमाईट खदान संचालित हो रही है। उसके बावजूद भी यहां पहली बार लोक सुनवाई रखी गई है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। उसके बावजूद भी यहां के लोगों को न तो किसी भी प्रकार की सड़क

के संबंध में सुविधा मिलती है न ही पानी के संबंध में सुविधा मिलती है न ही बिजली के संबंध में और न ही पर्यावरण के संबंध में। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा ये जो लोक सुनवाई आयोजन किया जा रहा है। इसके बावजूद भी हमारे जनपद पंचायत में सूचना नहीं मिली है। इतने बड़े क्षेत्र में ये शिविर का आयोजन हो रहा है। न तो यहां किसी जनप्रतिनिधि को सूचना मिला है न किसी आसपास के सरपंचो का उपस्थिति है। जिसके कारण मैं ऐसे जन सुनवाई को बिना, आप किसी भी पंचायत में पता कर सकते है। मेरे हिसाब से यहां भी मुनादी नहीं हुआ होगा। अगल बगल के पंचायत जितने भी हमारे आश्रित पंचायत है। जिसके अंतर्गत जो पंचायत आता है। वहां के गांव में बकायदा मुनादी होना चाहिए। वहां के जन प्रतिनिधियों को बकायदा इसकी कॉपी मिलना चाहिए। क्या इसके संबंध में क्या-क्या निराकरण होता है। जिसके संबंध में ऐसे डोलोमाईट खदान तो खुल गई है मैं इसका विरोध करता हूँ। यहां जन सुनवाई हो रही है। तभी यहां का दर्राभाटा से खम्हरिया, भोथिया, मलनी, सलनी, मुरलीडीह, करौआडीह, हचंदा तक जो रोड है। इसके संबंध में हमारे जन प्रतिनिधियों द्वारा कई बार हड़ताल किया जा चुका है कई बार मेरे द्वारा आवेदन भी दिया जा चुका है। उसके बावजूद किसी भी प्रकार का ये जो खदान संचालित करते है। इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं की जाती है। जिसके कारण मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। तीसरा है ये हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य के संबंध में सीएसआर मद द्वारा भी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता। इसके कारण मैं खदान का घोर विरोध करता हूँ। साथ ही साथ हमारे ग्राम-खम्हरिया के अलावा जो किसान बंधु है, मजदूर है उनको भी किसी प्रकार की रोजगार को मुहैया नहीं किया जा रहा है। हमारे किसान साथी गरीब मजदूर है वो भी अन्यत्र जगह पलायन करते जा रहे है। तो इसके लिए भी मैं आग्रह करता हूँ। कि जो भी खदान संचालित है उनको आप अवगत करावे, निर्देश दे कि वो भी अपने गरीब मजदूर किसान है। उनके घर परिवार से कर्मचारी को नियुक्ति करें। साथ ही साथ मैं आग्रह करना चाहता हूँ। कि यहां हमारे गांव के क्षेत्र के साथीगण उपस्थित है, उन सभी से जब तक हमारी समस्या है। हमारी सबसे बड़ी मांग है। दर्राभाटा से कचंदा जिला मुख्य मार्ग संचालित है। ये जो रोड है दर्राभाटा से संचालित हो रही है। आप आये है तो उसमें मुरुम, डस्ट पाट कर उसमें चलने योग्य बना है। इस रोड में 05 साल हो गया है। चारपहिया वाहन नहीं गुजर रहे है। कोई भी आदमी से पूछ सकते है आप नहीं गुजरते है। जो केवल यहां पर रोलर है या खदान की मशीने है। वही संचालित होती है। बाकी कोई भी चीज यहां पर से निर्वाह नहीं किया जा रहा

है। जिसके कारण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, गरीब मजदूर हैं उनको आने-जाने में अत्यधिक परेशानी होती है। उसको भी आप अपने तत्काल निर्देश दें। उसके बाद भी जो भी संचालित खदान है वो अपना काम चालू करें। यहां पे जो हमारे खम्हरिया गांव में घर वाले हैं जब यहां पर ब्लास्ट होता है तो कई तो ऐसे घर हैं मिट्टी का घर फट-फट जाती है। बता रहे हैं भैसा पार हो जायेगा। उनके बाद मे भी नागरिकों द्वारा के बोलने पर भी किसी प्रकार की अनदेखी की जा रही है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि ऐसे डोलोमाईट खदान को संचालित करने के लिए यहां स्वीकृति के लिए जन सुनवाई का आयोजन रखा गया है। जब तक हमारे जनता के हित में जो उनके द्वारा लिखित रहती है उसको जब क्लीयर करेंगे तब तक हम ऐसे खदानों स्वीकृति करने के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन आप सभी साथीगण किसान मजदूर उपस्थित हैं। यदि आप लोग भी मेरे कहने में सहमत हैं। तब तक हमारे क्षेत्र की जो समस्या है उनका निराकरण नहीं हो जाता तब हमें ऐसे खदान का विरोध करते हैं। ये स्थिति है आपको अवगत करायेंगे। इसके आगे भोथिया पंचायत पड़ता है। साथ ही साथ जितने चीखला या बड़ा-बड़ा पत्थर से गुजर कर हमारे इस गांव के साथ ही साथ इस दर्राभाटा से भी आते हैं। जो छात्र छात्रायें हैं उसी चीखला से गुजर कर आते हैं कई लोग गिर रहे हैं कई लोग को चोट लगता है। ऐसी यहां की दैयनीय स्थिति है। तो इसको भी आप अपने ध्यान में रखेंगे।

15. **श्री पुकराम, ग्राम-खम्हरिया** :- मोर भाई मनला तुमन के मै। हाथ जोडथव रोड़ बनना चाहिए। मै गरीब आदमी हूँ हम गांव से कहां भाग के जायेंगे। मिट्टी तेल वाले को जमीन मैं दिया हूँ। नौकरी में लगायेंगे। 50 से 100 आदमी मेरे गांव का मिट्टी तेल वाले का जमीन दिया है। नौकरी में लगायेंगे। मैं गरीब आदमी बुद्धा आदमी हूँ। हम कहां जायेंगे। आप ही हमको बताओ। जहां पर जगह देगा वही जायेंगे और रोड़ बनाओ।
16. **श्रीमती ननकी बाई टंडन, ग्राम-खम्हरिया** :-निवेदन है कि खम्हरिया में रोड़ बहुत बड़ी समस्या के कारण बच्चों को गांव के बाहर, स्कूल में पढ़ाई नई होवत हे। रोड़ बहुत खराब हो गये हैं चलने के लायक नहीं हे। लईका मन परेशानी में स्कूल जाथे। स्कूल के लईका मन के पढ़ाई नई होवत हे। 15 से 20 टन माल जावत हे। खदान के यात्री मन अपन-अपने खतरा मा डालत हे। माइंस वाला के गाड़ी रात के बंद करना चाहिए। 6 से 6 बजे चलावे रात के न चलावे काबर लईका मन के पढ़ाई बर्बाद होवत हे। रात के तो बिल्कुल मना हे काबर सोथन

तो दुख पड़त हे। धड़धड़-धड़धड़ जात हे। मोर निवेदन हे कि रात के गाडी माइंस वाला से बंद करावे।

17. **श्रीमती शांति साहू, ग्राम-खम्हरिया** :- निवेदन है कि हमारे ग्राम-खम्हरिया में रोड़ बहुत बड़ी समस्या है। रोड़ के कारण बच्चों को गांव के बाहर अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे है। 15 से 20 टन का माल ढोने वाला 15 से 20 ट्रक चलने से दिन-रात यात्रियों को अपने-अपने जान को खतरे में डालकर आना-जाना करना पड़ रहा है। अतः कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि कम्पनी से बोलकर गांव से बाहर वाले रास्ते से माल ले जाने की व्यवस्था करवाये। अगर कम्पनी गांव में चल रही है तो गांव के युवा पढ़े लिखे घुम रहे है। उसे कम्पनी में काम में लिया जाय। हमारे ग्राम-खम्हरिया में 10 वीं तक स्कूल होने के कारण बच्चे आगे नहीं पढ़ पा रह है। अतः कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि हायर सेकेण्ड्री स्कूल की व्यवस्था किया जाये। हमारे ग्राम-खम्हरिया में गौठान की व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को फसल में नुकसान की सामना करना पढ़ रहा है। गाय बछड़ा बाहर में घुम रहा है। अतः गौठान की व्यवस्था करें। हमारे ग्राम-खम्हरिया में बिहान योजना के अंतर्गत कम से कम 14 समूह है प्रत्येक समूह में 12 से 15 सदस्य है। अगर हम मिटिंग करते है, तो 200 से 250 महिलाओं की बैठक होती है अतः महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त भवन की व्यवस्था करें। हर मुहल्ला एवं हर चौराह में स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था करें एवं तालाब की गहरीकरण एवं सफाई करें एवं तालाब को पक्की करें एवं चारो तरफ लाईट की व्यवस्था करें। हमारे ग्राम-खम्हरिया में स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था करें। सभी हैंड पंप में सेन्टेक्स होने के कारण लाईट चले जाने से दिन भर दो दिनो तक पानी का इंतजार करना पड़ता है। अतः हर सेन्टेक्स में हैंड पंप की भी सुविधा दे। लाईट नहीं रहने पर हैंड पंप का उपयोग करें। रोड़ की मरम्मत होने के कारण रोड़ के किनारे वाला घर रोड़ से निचे जा रहा हैं, अतः पानी अंदर घुस रहा है इसलिए नाली की व्यवस्था किया जाये। गली में बरसात की तरह हर मौसम में पानी बह रही हे। अतः गली में भी नाली की व्यवस्था किया जाये।

18. **श्रीमती अयजश्री, ग्राम-खम्हरिया** :- हमारे गांव मे 5-6 माइंस चल रहा है उसका गाड़ी गांव में तो चल ही रहा है। लेकिन झालरौंदा का जो गाड़ी है वो इस रोड़ में चल रहा है अकलतरा का गाड़ी है वो भी इसी रोड़ में चल रहा है। पडईया का भी गाड़ी इसी रोड़ में चल रहा है। कम से कम अकलतरा वाले

अपने अकलतरा वाले रोड़ में चलाते। पडईया वाले पडईया साईड चलाते। यहां ट्रक चलाने वाला रोड़ दूसरा रास्ता बाईपास से बनाया जाये। इस रास्ता को पहले खम्हरिया से धौराभाटा रोड़ को आप सुधरवाईये और बनवाईये। उसके बाद लीज बनवाने का सोचना। अभी हम लीज बनवाने हम महिला समूह के तरफ से कोई भी महिला राजी नहीं है, लीज बनवाने में। पहले रोड़ बनवाईये फिर उसके बाद लीज बनवाईये। अपना बाईपास रोड़ बनवाकर गाडी चलाईयें।

19. **श्री पितर लाल चंद्रा, मां मनकादाई विकास समिति अध्यक्ष, ग्राम-भोथिया :-** मां मनकादाई के जो मंदिर हवय वो बहुत ही पास में हवय लगभग 2 कि.मी. दूरी पर हवय। लेकिन जब कभी भी विज्ञप्ति होथे तो खम्हरिया के नाम से होथे। महोदय जी से निवेदन है कि वास्तव में जो हमर गांव का ओहर भोथिया में है। महोदय जी से निवेदन है कि ओखर गांव भोथिया लिखा जाये। हमर मां मनका दाई विकास के लिए समतलीकरण एवं सौन्द्रीकरण के, मैं मां मनका दाई विकास समिति की ओर से आपमन से निवेदन करथव कि समतलीकरण एवं सौन्द्रीकरण किया जाये।
20. **श्री विमल साहू, ग्राम पंचायत खम्हरिया, सरपंच :-** ग्राम खम्हरिया में विगत 30 सालो से डोलोमाईट खदान माइंस संचालित है। शासन द्वारा तो लीज की व्यवस्था कर दी जाती है। पर सबसे बडी समस्या है कि ट्रांसपोटिंग की सबसे बडी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को विशेष रूप से देखा जाये। ग्राम पंचायत में 30 सालो से अभी तक हास्पिटल की व्यवस्था नहीं हुई हैं उस व्यवस्था को किया जाये। करोना काल गांव में इतना संकट व्यवस्था था एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं किया माइंस संचालको द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाये। खदान में ब्लास्टिंग द्वारा बारूदीकरण से खेत में ब्लास्टिंग से जो बडे-बडे पत्थर खेत को नुकसान किये जाते है। उनका निराकरण करके उनको उचित मुआवजा दिया जाये। गांव में मजदूरो को एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। हमारे गांव में नाका-चौकी की व्यवस्था बिल्कुल रूप से होनी चाहिए। इससे देश में विकास होगा। एक व्यापक व्यवस्था बनेगी। खदान में एलबो द्वारा जो ब्लास्टिंग किया जाता है उसको कम किया जाये। एलबो से 10 मीटर तक राख में घुसा दिया जाता है, पूरा भूकम्प का झटका यहां तक महसूस होता है। भूकम्प व्यवस्था को बिल्कुल, ग्राम पंचायत में पूरी तरह से देखा जाये तो हर घर में दरारे, हर घर में भूकम्प का झटका महसूस हो रहा है। उसको विशेष रूप से छोटा ड्रीलिंग व्यवस्था करके माइंस द्वारा संचालित किया जाये। सबसे बडी समस्या है अपने ग्राम पंचायत छात्रों की

व्यवस्था है। स्कूल के छात्रों को घर से निकलना बहुत कठिनाई है। यहां स्कूल की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा हुई है। सिर्फ रोड़ की व्यवस्था के वजह से देखा जाये तो छोटे बच्चे अपने घर से निकलना मुश्किल हो गया है। रात्रिकालीन गाड़ी चलाई जाती है उस व्यवस्था को बिल्कुल बंद किया जाये। एक टाईमिंग टू टाईमिंग चलाया जाये जिससे ग्रामवासी को किसी प्रकार की समस्या किसी प्रकार की तकलीफ न हो। रात्रिकालीन चलने से सब का नींद हराम हो जा रहा है। ग्रामवासियों रोड़ पर व्यवस्था करके जीवन यापन कर रहे है। निवास किये है। पूरा व्यवस्था उसी मे है और मेरा द्वारा ये सम्बोधन पहले व्यवस्था को सुधारा जाये फिर उसके बाद लीज व्यवस्था किया जाये। उस व्यवस्था को बिल्कुल सुधारा जाये कि टारगेट दिया जाये कि इतना-इतना आप लोग माइंस संचालक कर रहे है। इतना गांव के युवको को रोजगार मिलना चाहिए।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर-चांपा तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 2:15 बजे अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर-चांपा द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री जगमोहन कुमार चद्रा, इंडियन माईन प्लानर एण्ड कंसलटेंट, कलकत्ता, श्री ज्ञानचंद्र प्रसाद अग्रवाल (खम्हरिया डोलोमाईट डिपोजिट), ग्राम-खम्हरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग 2:30 बजे अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर-चांपा द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 22 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 20 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 100 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 65 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अपर कलेक्टर
कार्यालय कलेक्टर
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)